2026:RJ-JP:8106

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 918/2026

1. Ramkumar Gurjar Urf Fakaro S/o Shri Mohar Singh, Aged About 25 Years, R/o Village Khori Ibrahimpur, Tehsil Badi Police Station Sadar District Dholpur
(At Present The Petitioner Is Confined In Central Jaipur (Rajasthan).
2. Ramnath S/o Daulatram Gurjar, Aged About 22 Years, R/o Village Khori Ibrahimpur, Tehsil Badi Police Station Sadar District Dholpur
(At Present The Petitioner Is Confined In Central Jaipur (Rajasthan).
3. Rambhan @ Chandrabhan @ Chandu S/o Shri Ranveer @ Ranveer Gurjar @ Dhanveer, R/o Village Uprala Tarsuma Police Station Gadhi Bajana Tehsil Bayana District Bharatpur
(At Present The Petitioner Is Confined In Central Jaipur (Rajasthan).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. R. B. Sharma Ghanthola, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

23/02/2026

प्रार्थी—अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना—ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—248 / 2025 अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 55, 111(3), 310(4), 310(5)

बी.एन.एस. तथा धारा 3, 25, 25(6), 25(8) आयुध अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन आरोप पत्र प्रस्तुति के उपरांत नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, अभियुक्तगण दिनांक 20.10.2025 से अभिरक्षा में है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में तीनों प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि वे डकैती की तैयारी में फायर आर्म्स अवैध रूप से अपने कब्जे में रखकर मौके पर पाये गये, संगठित अपराध कारित करने का आरोप है। यद्यपि अभियुक्तगण का करीब तीन–तीन आपराधिक प्रकरणों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वर्तमान मामले में अभियुक्तगण दिनांक 20.10.2025 से अभिरक्षा में हैं, अब अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, शेष विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. रामकुमार गुर्जर उर्फ फकारो पुत्र मोहर सिंह, 2. रामनाथ पुत्र दौलतराम गुर्जर तथा 3. रामभान उर्फ चन्द्रभान उर्फ चन्दू पुत्र रणवीर उर्फ रनवीर गुर्जर उर्फ धनवीर** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस

मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक के द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /06